

पत्रांक : 15/271-20/2013-1816

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक:

सुनील कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव

सेवा में,

कुलसचिव

राज्य के सभी विश्वविद्यालय

(पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर)

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: 12/.....सितम्बर, 2014

विषय : महाविद्यालयों को सम्बद्धन प्रदान करने के लिए नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जैसे महाविद्यालय जिनका सम्बद्धन अस्वीकृत किया गया है, उसके बावजूद नये सत्र में बिना सरकार के अनुमोदन के नामांकन किया गया है, जैसे पढ़ रहे छात्र/छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अन्य सम्बद्धन प्राप्त महाविद्यालयों / अंगीभूत महाविद्यालयों से Tagging कराकर उनकी परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करने हेतु Transitory Regulation बनाकर यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

जैसे महाविद्यालय जहाँ सम्बद्धन दिये गये सत्र के अन्दर के दौरान नामांकन किया गया है, जैसे छात्र/छात्राएं अपने सत्र की समाप्ति तक उसी महाविद्यालय से परीक्षा देंगे, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे।

इस आशय की सूचना आपसे संबंधित सभी महाविद्यालयों को शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन,


(सुनील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव